डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

नि:शुल्क

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-08 , रायपुर से प्रकाशित

31 जुलाई 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24

विकसित भारत का बजट 2024

अनुपूरक बजट : छत्तीसगढ़ की तरक्की का डबल डोज

7,329 करोड़ रुपए के पहले अनुपूरक बजट को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने किया मंजूर

6,825 करोड़ राजस्व व्यय | 0,504 करोड़ पूंजीगत व्यय | 7,329 करोड़ कुल व्यय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार में जनकल्याणकारी योजनाओं में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। साय सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में कई विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय 6 हजार 825 करोड़,.पूंजीगत व्यय 504 करोड़, कुल व्यय 7 हजार 329 करोड़ है। राज्य में अधोसंरचना विकास हेतु सड़कों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लोक निर्माण विभाग के हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, और 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

प्रथम अनुपूरक में करोड़ों का प्रावधान

महतारी वंदन योजना

- महतारी वंदन योजना अंतर्गत लगभग 70 लाख महिलाओं को मार्च से जुलाई 2024 तक 3 हजार 270 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में इसके लिये 3 हजार करोड़ का प्रावधान है।
- प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- राज्य के 18 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों को इस वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 8 हजार 369 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्वीकृत आवासों के निर्माण हेतु 40 करोड़ 26 लाख जारी किये हैं एवं शेष राशि के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया है।

नियद नेल्लानार योजना

- बस्तर क्षेत्र के 53 सीआरपीएफ कैंपों के आसपास के ग्रामों के समग्र विकास हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- खेल सुविधाओं हेतु 2 करोड़ व 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- 02 नवीन छात्रावास एवं 12 में सीट वृद्धि हेतु 88 लाख का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना

- राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों के विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है।
- इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है।
- पीव्हीटीजी के विद्युतीकरण हेतु 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान है।

ग्रीन ट्रांसपोर्ट

- राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट हेतु कुल 240 ई-बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।
- छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

तीर्थ दर्शन

- श्रद्धालुजनों के लिए श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना मुख्य बजट में इस योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया है।

केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ की तरक्की को मिलेगी गति

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में युवाओं, किसान तथा आदिवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। किसानों के फसलों की उच्च उपज वाली 109 नई किस्मों तथा जलवायु अनुकूल 32 नई किस्मों को जारी करने की घोषणा की है। ऐसे में इस बजटीय प्रावधान का प्रत्यक्ष लाभ हमारे प्रगतिशील किसानों को मिलेगा।

आदिवासी समाज को प्राथमिकता

जनजातीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें 63,000 गावों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत अनुपात आदिवासी समाज को सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि बजट में वृद्धि

खेती-किसानी से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्म जारी की जाएंगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएगा।

रेल परियोजनाओं को भी नई गति

यह बजट छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं को भी नई गति देगा। बजट में राज्य से जुड़ी परियोजनाओं के लिए लगभग 6922 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है. यह राशि पिछली बार के बजटीय प्रावधान 5050 करोड़ रुपये से 1872 करोड़ अधिक है।

श्री रामेन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल

श्री रामेन डेका छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब समेत 10 राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्ति की।

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य मुलाकात कर उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। श्री साय ने कहा कि राज्यपाल श्री हरिचंदन के मार्गदर्शन में प्रदेश ने प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं।

ग्रीन स्टील से शून्य कार्बन उत्सर्जन, आर्थिक संभावनाओं के खुलेंगे द्वार:श्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सीआईआई द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील समिट-2024 में शामिल हुए। श्री साय ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील न केवल पर्यावरणीय लक्ष्य प्राप्त करेगा, बल्कि आर्थिक विकास के नए अवसर भी खोलेगा।" इस्पात उद्योग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के वैश्विक चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा की हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण सामने रखा है। समिट में देशभर के प्रमुख उद्योगपति और व्यापारी ने ग्रीन स्टील उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और नई तकनीकों पर अपने विचार साझा किए।

20% स्टील उत्पादन में राज्य का योगदान

भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दल्लीराजहरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20 प्रतिशत तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने समिट में ग्रीन स्टील उत्पादन की नई तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आह्वान किया। और कहा कि हमारी एकजुटता से हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करते हुए मिलजुलकर विकास करेंगे।

रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर भी

(शीघ्र ही एप पर भी लॉन्च किया जाएगा)

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट https://dprcg.gov.in/ पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। इससे पाठकों को नवीनतम नौकरी के अवसरों, करियर सलाह, और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अब अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर समाचार पत्र को एक्सेस कर सकते हैं।

रोजगार सूचना

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
पद: मेडिकल ऑफिसर
पद संख्या: 600 से ज्यादा
अंतिम तिथि: 4 अगस्त 2024
mppsc. mp.gov.in

भारतीय डाक विभाग
पद: ग्रामीण डाक सेवक
पद संख्या: 44228
अंतिम तिथि: 5 अगस्त 2024
indiapostgdonline. gov.in

इंडियन ऑयल
पद: नॉन-एग्जीक्यूटिव पर्सोनल
पद संख्या: 467
अंतिम तिथि: 5 अगस्त 2024
iocl.com

छत्तीसगढ़ होम गार्ड
पद: होम गार्ड
पद संख्या: 2215
अंतिम तिथि: 10 अगस्त 2024
https://firenoc. cg.gov.in

राजस्थान हाईकोर्ट
पद: डिस्ट्रिक्ट जज
पद संख्या: 95
अंतिम तिथि: 9 अगस्त 2024
hcraj.nic.in

एनआईए
पद: सब इंस्पेक्टर व अन्य
पद संख्या: 111
अंतिम तिथि: 15 अगस्त 2024
www.nia.gov.in

आरपीएससी
पद: जियोलॉजिस्ट व अन्य
पद संख्या: 56
अंतिम तिथि: 20 अगस्त 2024
rpsc.rajasthan.gov.in

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक : मयंक श्रीवास्तव
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय सलाहकार : अरविन्द मिश्रा
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रांत
संपादकीय सहयोग : संदीप सिन्हा
लेआउट डिजाइन : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

नीति आयोग की बैठक में भोजन के समय प्रधानमंत्री के साथ विष्णु देव साय व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री।

आपदा प्रबंधन को बनाएं जीवन का हिस्सा

हर व्यक्ति को सीखना होगा आपदा प्रबंधन

इन दिनों बारिश का मौसम जारी है। इस मौसम में बिजली गिरने, सर्पदंश, पानी में डूबने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों ही आपदाओं के प्रभाव को सामाजिक सहभागिता एवं जागरुकता से कम किया जा सकता है। नीतिगत रूप से देखें तो आपदा प्रबंधन राज्य सरकार का विषय है। केंद्र सरकार नीतियां और गाइडलाइंस बनाती है। देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमओ) के साथ कई राज्य सरकारें और उनके विभाग प्राकृतिक व मनुष्य जनित वीभीषिकाओं के दौरान पूरी दक्षता और संवेदनशीलता के साथ कार्य भी करते हैं।

आपदाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहला, प्राकृतिक तथा दूसरी मानवजनित। प्राकृतिक आपदाओं में तूफान, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, जंगल की आग, बिजली गिरने जैसी घटनाएं प्रमुख हैं। मानव जनित आपदाएं तो कई बार प्राकृतिक आपदाओं से भी खतरनाक होती हैं। ईमारत का ढ़ह जाना, गैस रिसाव, विस्फोट, सड़क, रेल हादसे, हवाई जहाज का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना तथा परमाणुवीय हादसे व प्रदूषण आदि भी मानवजनित आपदाओं में शामिल हैं। यहां तक की अचानक किसी व्यक्ति के बेहोश होने से लेकर हृदयघात या ऐसी बीमारियां भी आपदाओं की श्रेणी में आती है, जिसमें आकस्मिक स्थिति में उचित प्रबंधन से व्यक्ति की जान बचाए जाने की संभावना निहित होती है। आपदा प्रबंधन का प्राथमिक सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां किस प्रकार की आपदाओं का संकट अधिक है।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रसारित जागरुकता कार्यक्रम इस

ओर हमें पर्याप्त बातें बताते हैं। जैसे, हमें हमेशा प्राकृतिक आपदाओं को लेकर एक फैमिली इमरजेंसी प्लान तैयार रखना चाहिए, जिसमें आपदा के समय परिवार के हर सदस्य द्वारा किए जाने वाले कार्य की भूमिका तय हो। आपके घर में हमेशा एक डिजास्टर किट तैयार होनी चाहिए। इस डिजास्टर किट में कुछ वस्तुएं जैसे पानी की बोतल, दवाएं, फर्स्ट एड की सामग्री, टॉर्च, रेडियो, बैटरी, आपके आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आपके स्वास्थ्य की जानाकारी देने वाले दवाओं के पर्चे आदि रखे हों।घर से निकलते समय बिजली, गैस सिलेंडर आदि बंद कर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। घर से निकलते समय पूर्व बनाई गई योजना में यह तय होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या करेगा। जैसे बिजली के स्वीच बंद करने से लेकर, चाभी निकालने, डिजास्टर किट लेने तक की जिम्मेदारी बंटी होनी चाहिए। आपदाओं के समय हर एक क्षण कीमती होता है। यदि डूब क्षेत्र में घर हो तो बरसात के दिनों में समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि लोग बारिश के वक्त पेड़ों के नीचे खड़े रहते हैं, जबकि प्रयास करना चाहिए कि आप जितना जल्दी हो सके सुरक्षित व सूखे जगह पर खड़े हों। आपका घर शहरी इलाके में हो या ग्रामीण हिस्से में, घर में अनिवार्य रूप से फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पुलिस थाने आदि के नंबर चस्पा होने चाहिए। छत्तीसगढ़ का हेल्पलाइन नंबर 112 इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें के संबंधित विभाग सिविल सोसाइटी की मदद से आपदा प्रबंधन के विषय को जन-जन के जीवन का हिस्सा बनाएं।

• अरविंद मिश्रा

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद हेतु आवेदन

आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायिका के रिक्त पदों हेतु खुली भर्ती से नियुक्ति हेतु 05 अगस्त 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर-2 में आंगनबाड़ी केंद्र करजी कटईपारा में आंगनबाड़ी सहायिका के 01 रिक्त पद पर भर्ती की जानी है। नियुक्ति की विस्तृत शर्तें एवं अहर्ताएं सूचना फलक पर देखे जा सकते हैं। इन पदों पर केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। वे अपना आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्य दिवस पर जमा व पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित अवधि तक भेज सकती हैं।

सिक्यूरिटी गार्ड हेतु आवेदन

जिला रोजगार अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार निजी नियोजक लॉन्चे मैनेजमेंट एण्ड सिक्यूरिटी सर्विस हैदराबाद से प्लेसमेंट पदों की रिक्तिया प्राप्त हुई है। इस संबंध में इच्छुक आवेदक, आवेदिका 24 जुलाई से 3 अगस्त तक अपने समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां, एक सेट छायाप्रतिया, एक पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित आयोजित रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दन्तेवाड़ा अथवा लक्ष्य प्रतिस्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र दन्तेवाड़ा में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते है।

भारतीय स्टेट बैंक के 1040 पदों के लिए आवेदन 8 अगस्त तक

भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 1040 पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त है। एक से अधिक पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बैंक ने सेंट्रल रिसर्च टीम (प्रोडक्ट लीड), सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट), प्रोजेक्ट डवलपमेंट मैनेजर (टेक्नोलॉजी), प्रोजेक्ट डवलपमेंट मैनेजर (बिजनेस), रिलेशनशिप मैनेजर, वीपी वैल्थ, रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड, रिजनल हैड, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के पदों के लिए वेकेंसी निकाली है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट sbi.co.in देखें।

24 घंटे ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिकायत, त्वरित होगा निराकरण

लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु रायपुर जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल की है। इसके अंतर्गत अब रायपुर जिला प्रशासन के कॉल सेंटर के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे मिलेगी और त्वरित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस शिविर में तीन दिन में 217 शिकायतें मिली हैं। जिसमें 46 का समाधान हो गया। शहर से संबंधित, राजस्व व अन्य विभागों के मामलों की जानकारी फोन कॉल के माध्यम से दे सकते है। जानकारी प्राप्त होने के तत्पश्चात जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा।

ऐसे होगा शिकायतों का निवारण

- हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आवेदक कॉल कर अपनी समस्या शिकायत दर्ज कराएंगे।
- कॉल सेंटर की टीम शिकायतकर्ता व आवेदक से उनकी समस्या को कॉल सेंटर के पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
- केस दर्ज करने के बाद व्हाट्सएप के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी को मामले की जानकारी भेजी जाएगी।
- प्रकरण का त्वरित निराकरण किया जाएगा

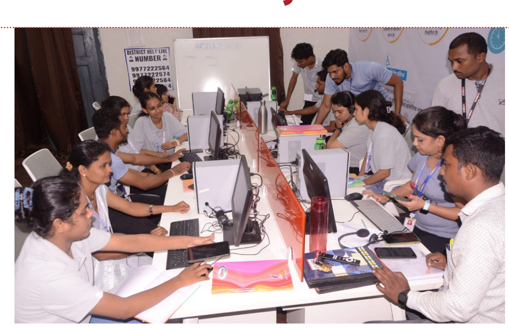

- जब तक शिकायत का निराकरण नहीं होता, तब तक कॉल सेंटर समस्याओं पर संबंधित विभाग एवं अधिकारी से फॉलोअप करेगा।
- समस्या के निराकरण हो जाने पर आवेदक को कॉल करके सूचित किया जाएगा और पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर

कॉल सेंटर के इन मोबाइल नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते है।

9977222564
9977222574
9977222584
9977222594

- समस्या के निराकरण हो जाने पर आवेदक को कॉल करके सूचित किया जाएगा और पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विश्रामपुरी, जिला – कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)

ईमेलःiti.vishrampuri@yahoo.in

क्रमांक/औप्रसं/विश्रा./स्था/मे.प्र.भर्ती/2024/319 विश्रामपुरी, दिनांक 19/07/2024

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं0–4, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेशानुसार औ. प्र. संस्था विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव, नोडल अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024–2025 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय नोडल अधिकारी/प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) 494347 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10/08/2024 को सायं 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैः–

1. पदों की जानकारीः–

क्र.	व्यवसाय/विषय का नाम	औ.प्र.सं. विश्रामपुरी	औ.प्र.सं. माकडी	कुल
1	वर्कशॉप कैल्कुलेशन एंड साइंस/इंजीनियरिंग ड्राइंग	01	01	02
2	इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल	01	00	01
3	फिटर	00	01	01
	महायोग	02	02	04

मेहमान प्रवक्ता के आवेदन हेतु नियम/शर्तें/योग्यता/आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी संस्था के सूचना पटल पर देखी/प्राप्त की जा सकती है, एवं जिला –कोण्डागांव के वेबसाइट http://kondagaon.gov.in पर भी देखी/प्राप्त की जा सकती है।

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क्र.	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	वर्कशॉप केल्कुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग	औ.प्र. संस्था विश्रामपुरी/माकड़ी	02 (1–1)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी ड्राफ्टमेन मैकेनिकल में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./टी.ओ.टी. उत्तीर्ण हो।
2	इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल	औ.प्र. संस्था विश्रामपुरी/माकड़ी	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में बी०एड० परीक्षा उत्तीर्ण।
3	फिटर	औ० प्र० सं० माकडी	01	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र /राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैन्यूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण, 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई./सी.टी. आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.जी.टी.आई./टी.ओ.टी. उत्तीर्ण हो।
	कुल पद		04	

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :–

(क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(ख) सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

(ग) मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरान्त यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नही होता है तो उसका चयन निरस्त माना जा कर प्रतीक्षा सूची के अगले आवेदक को नियमानुसार अवसर दिया जावेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।

(घ) आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

नियम एवं शर्तें

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक हैं उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण–पत्रधारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटीआई के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
3. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
4. शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किय जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
7. पृथक–पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन जमा करना होगा।
8. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/– (एक सौ चालिस रूपये) की दर से प्रतिकार्य दिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000/– रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय–समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
9. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होगें। शासकीय अवकाश का छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्रमशः

10. पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तक अन्य जिलों की अनुमोदित्त सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर/समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
12. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 10.08.2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) पिन–494347 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।
13. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2024 स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण–पत्रों जैसे शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण–पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
15. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
16. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र जैसे–राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू० पी० एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विश्रामपुरी
जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, विश्रामपुरी
जिला– कोण्डागांव (छ0ग0) 494347

स्व–प्रमाणित फोटो

विषय :–मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है:–

आवेदित पद एवं व्यवसाय का नाम :...

आवेदित संस्था का नाम :...
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)

1. आवेदक का नाम :...
2. पिता/पति का नाम :...
3. माता का नाम :...
4. जाति :.........................वर्ग.......................
5. जन्मतिथि (अंको में) :...
   (शब्दों में) :...
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :...
7. दूरभाष/मोबाईल नंबर :...
8. स्थायी निवास का पूर्ण पता :...
9. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हाँ/नहीं) :...
11. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :–

क्र.	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/विश्वविद्यालय/आई.टी.आई.	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीपः प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–
   1...
   2...
   3...
   4...
   5...
   6...

(आवेदक के हस्ताक्षर)

// शपथ–पत्र //

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूं कि :–

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय–समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण–पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण–पत्र गलत पाये जाते हैं, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पद स्थापना होने पर रहेगी, जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान :.................
तारीख :...............

(आवेदक के हस्ताक्षर)
पूरा नाम :.................................
पत्र व्यवहार का पता:.............
मोबाइल नंबर:..........................

आर.ओ.57/जी–242501262/4

कार्यालय अधीक्षक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल जिला – कोण्डागांव (छ.ग.)

ईमेल itikski@gmail.com

क्रमांक / औप्रसं / केश. / स्था. / मे0प्र0 / 2024 / 424 केशकाल दिनांक 22.07.2024

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं.–4, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशो तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश क्रमांक– 248 दिनांक 12 / 03 / 2024 के अनुपालन में जिला कोण्डागाँव में संचालित विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों / विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024–25 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल जिला कोण्डागाँव छ०ग० 494331 में आवेदन जमा / प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 12.08.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक हैं। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है

1. पदों की जानकारी :–

क्र.	व्यवसाय / विषय का नाम	औ.प्र.सं. धनोरा	कुल
1	2	3	4
02	स्टेनोग्राफी (हिन्दी)	01	01
	कुल योग		01

मेहमान प्रवक्ता के आवेदन हेतु नियम / शर्तें / योग्यता / आवेदन का प्रारुप एवं अन्य जानकारी संस्था के सूचना पटल पर देखी / प्राप्त की जा सकती है, एवं जिला कोण्डागांव के वेबसाईट http://kondagaon.gov.in पर देखी / प्राप्त की जा सकती है।

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:–

क्र.	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	स्टेनोग्राफी (हिन्दी)	आईटीआई धनोरा	01	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था / शीघ्रलेखन (शार्ट–हेण्ड) में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति। (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा।) 3. अधिकतम–अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई / सीटीआई / एन . व्ही.टी.आई / आर.व्ही. टी. / आई टॉट से उत्तीर्ण हो। 4. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 KEY डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा)।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :–

(क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई. / ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के एटीआई / सीटीआई (परीक्षा) की तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई. / डिप्लोमा / डिग्री) परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(ख) सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

(ग) आवेदक के पास किसी व्यवसाय / विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / इंजीनियरिंग में उपाधि / इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी।

नियम एवं शर्तें

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल जिला–कोण्डागाँव (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली–भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
4. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई / एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई. / डिप्लोमा / डिग्री) प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
5. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
6. शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायों / विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
9. पृथक–पृथक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन जमा करना होगा।
10. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140 / – (एक सौ चालीस रूपये) की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम पांच घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000 / – रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय–समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्यदिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
11. मेहमान प्रवक्ताओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय भुगतान किया जावेगा।
12. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. पदों की संख्या घटाई–बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय / विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर / समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 12.08.2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा

क्रमशः

इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल जिला – कोण्डागाँव छ०ग० 494331 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।

16. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण–पत्रों जैसे– शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण–पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
18. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
19. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
20. आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र जैसे– राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण–पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू०पी०एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी/अधीक्षक,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल
जिला कोण्डागांव (छ.ग)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित संस्था का नाम :..
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।)
आवेदित पद एवं व्यवसाय का नाम :..

प्रति,

स्व–प्रमाणित फोटो

प्राचार्य/अधीक्षक
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, केशकाल
जिला– कोण्डागांव (छ०ग०)

विषय :–मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र ।
महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है:–

1. आवेदक का नाम :..
2. पिता/पति का नाम :..
3. माता का नाम :..
4. जाति :.........................वर्ग.........................
5. जन्मतिथि (अंको में) :..
   (शब्दों में) :..
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :..
7. दूरभाष/मोबाईल नंबर :..
8. स्थायी निवास का पूर्ण पता :..
9. सी.टी.आई./ए.टी.आई.
   एन.व्ही.टी.आई/आर.व्ही.टी.आई/
   आई.टॉट उत्तीर्णः (हाँ/नहीं) :..
10. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :–

क्र.	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/विश्वविद्यालय/आई.टी.आई.	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीपः 1) प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावें।
2) योग्यता से संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों को स्वयं द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–
    1...
    2...
    3...
    4...
    5...
    6...

(आवेदक के हस्ताक्षर)

// शपथ–पत्र //

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूं कि :–

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय–समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण–पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण–पत्र गलत पाये जाते हैं, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पद स्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान :.................
तारीख :...............

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :.................................
पत्र व्यवहार का पताः.............
....
....
....
मोबाइल नंबरः............................

एनएमडीसी लिमिटेड

बैलाडीला लौह अयस्क खान बचेली कॉम्प्लेक्स, पोस्टः बचेली, जिलाः दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

नर्सिंग कोर्स हेतु प्रवेश सूचना–2024

एनएमडीसी के नैगम सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत बालिका शिक्षा योजना अंतर्गत बस्तर क्षेत्र की इच्छुक गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली आदिवासी (अजजा) छात्राओं से अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद में जीएनएम (3 वर्षीय) एवं बीएससी नर्सिंग (4 वर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 35 वर्ष से कम उम्र की आवेदिकाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।

योग्यता

1. बस्तर क्षेत्र की केवल दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर एवं नारायणपुर जिले की विज्ञान (बायोलॉजी, भौतिक एवं रसायन) विषय से 12वीं में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण, केवल आदिवासी (अजजा) छात्राएं।
2. परिवार की मासिक आय रू.6000/– से अधिक न हो (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र 01 वर्ष से अधिक पुराना न हो)।
3. बीएससी नर्सिंग में प्रवेश हेतु आवेदिकाओं का नीट 2024 परीक्षा में प्राप्तांक 126 या उससे अधिक होना चाहिए।

अन्य शर्तें:

1. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के साथ 10वीं, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड या राशन कार्ड, मूल निवासी आय (अधिकतम 01 वर्ष पुराना) एवं जाति इत्यादि प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर बंद लिफाफे में महाप्रबंधक (कार्मिक) एनएमडीसी लिमिटेड, बीआईओएम बचेली कॉम्प्लेक्स, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.), पिन कोड–494553, के पास व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं।
2. लिफाफे के ऊपर "एनएमडीसी बालिका शिक्षा योजना 2024 आवेदन पत्र" अवश्य लिखें।
3. दिनांक 06.08.2024 (संध्या 5 बजे) के उपरांत प्राप्त हुए एवं अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

महत्वपूर्ण टीपः 1. एनएमडीसी परियोजनाओं के आस–पास के क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. इस प्रवेश सूचना को एनएमडीसी की वेबसाईट के केरियर्स ड्रॉपडाउन से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

वास्ते
सीएसआर विभाग
एनएमडीसी, बीआईओएम बचेली कॉम्प्लेक्स

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम :
2. माता एवं पिता का नाम :
3. अभ्यर्थी की जन्मतिथि :
4. अभ्यर्थी का जन्म स्थान :
5. अभ्यर्थी के मूल ग्राम एवं पंचायत का नाम :
6. निवासी जिले का नाम :
(सिर्फ बस्तर/दंतेवाड़ा/सुकमा/बीजापुर/कोंडागांव/नारायणपुर)

स्वयं प्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें

7. कक्षा 12वीं (विज्ञान – बायोलॉजी, भौतिक एवं रसायन) से संबंधित विवरण :

विद्यालय का नाम	ग्राम एवं पंचायत	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

8. पत्राचार के लिए पूरा पता
9. मोबाईल नं./दूरभाष नं. 1.................................2...
10. परिवार की कुल वार्षिक आय :
(वर्तमान वर्ष के आय प्रमाण पत्र के अनुसार)

आवेदक के हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण टीपः 1. चयन प्रक्रिया का निर्धारण एनएमडीसी/अपोलो प्रबंधन द्वारा किया जायेगा जो कि अंतिम व सर्वमान्य होगा।
2. किसी भी कारण से चयन प्रक्रिया में विलम्ब या निरस्त होने पर एनएमडीसी प्रबंधन किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन न भेजें।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771–2439564, वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 2277/04/परीक्षा/2024 रायपुर, 23 जुलाई 2024

"व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा–2023 के संबंध में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण सूचना"

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 08/2023/परीक्षा/दिनांक 01/06/2023 के तहत् व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा–2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 25 अगस्त 2024 को बिलासपुर एवं रायपुर जिलों के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है।

02/ व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा–2023 में दिव्यांगजनों को सह–लेखक की सुविधा दिये जाने/अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं:–

(1) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रमांक F-No- 29–6/2019–DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र–2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य हैं, उसे सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं अथवा जिला कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते हैं।

(ii) स्वयं के अथवा जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदेव मैट्रिक अथया इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हों तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के सनय उपलब्ध प्रपत्र 1. प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 पर उपलब्ध प्रारूप में प्रगाण–पत्र तैयार कर प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रपत्र 2 व प्रपत्र 3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र 4 में सहलेखक के हस्ताक्षर के साथ अपने पास सुरक्षित रखा जाना है। जिला कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु अभ्यर्थी को पूरी तरह से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित (सक्षम अधिकारी, सहलेखक एवं स्वयं जो भी लागू हो) प्रपत्र 01, 02, 03 एवं 04 प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनों ही स्थितियों में प्रपत्र 01, 02. 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

(iii) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। प्रपत्र–1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र–1, प्रपत्र–2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र–4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी। (विस्तृत निर्देश एवं प्रपत्र हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक विज्ञापन क्र. 08/2023/परीक्षा/दिनांक 01/06/2023 का भलीभांति अध्ययन करें)।

3/ अभ्यर्थी एवं उनके सहलेखक व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा–2023 में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं सहलेखक को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

4/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अन्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

आर.ओ.63/जी–242501360/5

Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya

Admission Notice 2024

University of Journalism & Mass Communication
Kathadih (Bhatagaon), Raipur- 492013, Chhattisgarh.
www.ktjum.ac.in

Under Graduate Courses (Hon.)*

- BA (Mass Communication)
- B.Sc. (Multimedia)
- B.Sc. (Electronic Media)
- B.Sc. (Graphics and Animation)
- BBA (Bachelor of Business Administration)
- BBA (Hospital Administration)
- BBA (E-Commerce)

*All Under Graduate honours Courses shall be run as per National Education Policy 2020

Post Graduate Diploma Courses

- Journalism
- Event Management
- Corporate Communication
- DCA
- PGDCA

For Carrier Guidelines and Course Curriculum please contact the respective Heads of Department.

Post Graduate Courses

- MJ (Master of Journailsm)
- MA (Advertising and Public Relations)
- MA (Mass Communication)
- MA (Health Communication)
- MA (Tourism and Travel Communication)
- MA (Rural and Tribal Communication)
- MA (Digital Media)
- M.Sc. (Electronic Media)
- MA (Film Studies)
- MBA (Hospital Administration)
- MBA (Media Management)
- MBA (Human Resource Development)
- MA (Prayojanmulak Hindi, Sahitya Avam Anuvad)
- MA (Chhattisgarhi)

MSW, B.Lib & I.Sc, M.Lib & I.Sc

Applications are invited for vacant seats. For more information regarding online applications and admissions, please visit the university **website: www.ktujm.ac.in.**

For online application form fillup / Computer related difficulties - Please call on **0771-2969202**

Registrar I/c

R.O. 58/Samvad-40902/9

ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा)

चतुर्थ तल, ब्लॉक–ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 490002 (छत्तीसगढ़)

डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश तिथि में वृद्धि हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चाम्पा एवं बरगढ़ (उड़ीसा) में त्रिवर्षीय डिप्लोमा इन हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी में विज्ञापन क्रमांक 242500024 दिनांक 23.04.2024 के माध्यम से प्रवेश हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि 15.07.2024 के पश्चात् वर्तमान में भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा के रिक्त 22 सीट एवं बरगढ़ संस्थान में 03 सीट इस प्रकार प्रथम सेमेस्टर हेतु कुल 25 सीटों के लिये तथा Lateral Entry के माध्यम से भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा में 28 सीट तथा बरगढ़ संस्थान में 03 सीट कुल 31 सीटों में सीधे तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाईड www.iihtchampa.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर या सीधे संस्थान में उपस्थित होकर दिनांक 02/08/2024 को सायं 5.00 बजे तक प्राचार्य, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, मड़वा प्लांट रोड, लछनपुर चौक, चाम्पा, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) 495669 में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में मो.नं. 70490–46588 पर संपर्क किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा
छत्तीसगढ़ रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771–2439564, फैक्स: 0771–2331525, 2446556
वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 2050/04/परीक्षा/2024 रायपुर, 9 जुलाई 2024

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा–2023 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 08/2023/परीक्षा/दिनांक 01/06/2023 द्वारा व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत दिनांक 03/09/2023 को व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) प्रारंभिक परीक्षा–2023 हेतु परीक्षा का आयोजन बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर जिला मुख्यालयों में किया गया था।

परीक्षा के अगले चरण में प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चिन्हांकित किए गए आवेदकों हेतु व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा–2023 का आयोजन विज्ञापन क्रमांक 08/2023/परीक्षा/दिनांक 01/06/2023 में उल्लेखित Appendix 'C' (असंशोधित आपराधिक कानून) के आधार पर ही दिनांक 25 अगस्त 2024 को जिला रायपुर एवं बिलासपुर में किया जाएगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर
(छ०ग०)

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग

चतुर्थ तल, ब्लॉक–ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 492002 (छत्तीसगढ़)
फोन नं.–0771–2221766 एवं नं.–0771–2511549 email-handloomraipur@gmail.com

क्र./हा./रा.रा.क.मा.पु/2024–25/1016 नया रायपुर दिनांक 24.07.2024

राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020

प्रस्तावना:– छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के सूती हाथकरघा वस्त्र उद्योग को संरक्षण तथा बढ़ावा देने, हाथकरघों पर वस्त्र उत्पादन की पारंपरिक कला संस्कृति की अनुपमा को अक्षुण्य बनाए रखने एवं बुनकरों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने हेतु " राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020" की स्थापना की गई है। इस प्रकार के विनिमय एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं।

उद्देश्य :– योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की परंपरागत हाथकरघा सूती वस्त्र उत्पादन कला–कौशल को संरक्षण प्रदान करना तथा उत्पादन में उत्कृष्टता लाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

संक्षिप्त नाम :–

(अ) इस नियम का संक्षिप्त नाम "राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020" होगा।

(ब) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

परिभाषा :– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(अ) हाथकरघा से तात्पर्य ऐसे समस्त प्रकार के हाथकरघा जैसे – फ्रेमलूम, पिटलूम, जेकार्ड लूम आदि से है जो हस्तचलित (मानव शक्ति) हो।

(ब) बुनकर से तात्पर्य उपरोक्त बिन्दु क्रमांक– "अ" अनुसार करघों पर सूती वस्त्र बुनाई का कार्य करता हो।

(स) निर्णायक मंडल से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मण्डल (जूरी) से है।

पुरस्कार का स्वरूप :–

प्रदेश में हाथकरघा पर सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 2 बुनकरों को " राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020" अंतर्गत पुरस्कार राशि एक–एक लाख के मान से कुल राशि रूपये 2.00 लाख (अक्षरी दो लाख रूपये) मात्र नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह, शॉल एवं श्रीफल के रूप मे दिया जायेगा। यह पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ 2 बुनकरों को दिया जायेगा। प्रशस्ति पत्र पृथक–पृथक दिया जावेगा।

प्रविष्टियां :–

प्रदेश के सूती हाथकरघा वस्त्र बुनकरों के द्वारा हाथकरघा पर पारंपरिक/आधुनिक डिजाईन में विभिन्न रंगो के संयोजन/रंग विहिन के साथ बुने गये सभी प्रकार के वस्त्र शामिल होगें। उक्त पुरस्कार योजना में कोसा वस्त्र बुनकरों की प्रविष्टियां मान्य नही होगी।

पुरस्कार योजना की शर्तें :–

(1) प्रविष्टि हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। (आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।)

(2) प्रस्तुत प्रविष्टि हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु का बंधन नही है।

(3) प्रस्तुत प्रविष्टि, आवेदक द्वारा हाथकरघा पर स्वयं के द्वारा बुनाई किया गया है। इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा।

(4) एक आवेदक की एक ही प्रविष्टि स्वीकार की जावेगी।

(5) पूर्व पुरस्कृत प्रविष्टि इस योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु ग्राहय नही होगी। इस योजनान्तर्गत प्रविष्टि प्रथम बार प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदक को स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

(6) पुरस्कार दिये जाने हेतु चयनित प्रविष्टि तथा पुरस्कार वितरण संपन्न होने के मध्य यदि संबंधित बुनकर का निधन हो जाता है तो चयनित एवं घोषित पुरस्कार उस बुनकर द्वारा नामांकित व्यक्ति को देय होगा।

(7) पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को उनके निवास स्थान से समारोह स्थल तक आने जाने एवं ठहरने के लिए शासन के यात्रा भत्ता नियम श्रेणीकरण के अनुसार श्रेणी "बी" के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

(8) कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नही ले सकेंगे

प्रविष्टि आमंत्रण :–

(1) जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर नियमानुसार प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप मे, आवदेन के साथ कलेक्टर के माध्यम से या सीधे आमंत्रित की जावेगी। प्राप्त प्रविष्टियां कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय पर "संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) रायपुर" को अग्रेषित की जावेगी। आवेदक पुरस्कार हेतु अपनी प्रविष्टि आवेदन पत्र व संबंधित कागजात सहित संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) छत्तीसगढ़ रायपुर को बंद लिफाफे में सीधे भी भेज सकते हैं। जिले में पदस्थ उप/सहायक संचालक (हाथकरघा) उक्त पुरस्कार योजना का प्रचार–प्रसार एवं संबंधित कार्य कलेक्टर के मार्गदर्शन में करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां मान्य नहीं होंगी।

(2) प्रविष्टि आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति जारी करने की तिथि में संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगें।

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में उल्लेखित मापदण्ड एवं शर्तो के अलावा कोई और शर्त लागू नहीं होगी।

(ब) अगर किसी बुनकर की प्रविष्टि किसी वर्ष चयनित नही होती है तो वह बुनकर आगामी वर्ष में अपनी प्रविष्टि पुनः पुरस्कार हेतु भेज सकता है।

(स) प्रविष्टि में दिये अंतनिर्हित तथ्यों/जानकारी के अलावा पुरस्कार के संबंध में अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर कोई विचार नही किया जावेगा।

(द) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नही माना जावेगा।

(इ) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियां संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीयन किया जावेगा :–

क्र.	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद तथा पता	प्राप्त कागजातों की कुल पृष्ठ संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4

निर्णायक मण्डल (जूरी) का गठन :–

राज्य शासन, संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन करेगा, जिसमें हाथकरघा क्षेत्र से जुड़े दो प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

निर्णायक मण्डल की शक्तियां :–

1. निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन, अंतिम व बंधनकारी होगा।
2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नही की जायेगी।
3. निर्णायक मण्डल के बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नही रखा जावेगा।
4. निर्णायक मण्डल के माननीय सदस्यों को चयन प्रकिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर, उन्हें शासन के यात्रा भत्ता नियम श्रेणीकरण के अनुसार श्रेणी "बी" के समकक्ष यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

पुरस्कार के लिए चयन मापदण्ड :–

पुरस्कार के लिए हाथकरघा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बुनकर चयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश व मापदण्ड रहेंगे :–

1. पुरस्कार हेतु बुनकर आवेदक को इस योजना के समस्त नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
2. निर्णायक मण्डल द्वारा प्रासंगिक/मौलिक/परंपरागत/आधुनिक डिजाईनों, रंग संयोजन, बुनाई में विविधता आदि को दृष्टिगत रखते हुए बुने हुए वस्त्रों की विशेषता के आधार पर चयन किया जावेगा।

क्रमशः

3. निर्णायक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य इस पुरस्कार योजना में भाग नही ले सकेंगे।

पुरस्कार की घोषणा :–

निर्णायक मण्डल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति/व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

व्यय की सम्पूर्ति :–

पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा की जावेगी।

नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :–

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतनिर्हित प्रावधान के संबंध में ग्रामोद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी। ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नही है, उनके निराकरण के अधिकार भी छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग में वेष्ठित होगें।

अन्य दायित्वों का निर्वहन :–

प्रतिवर्ष प्राप्त पुरस्कार एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा संधारित किया जावेगा। पुरस्कृत प्रविष्टि राज्य शासन की संपत्ति होगी, जो राज्य के संग्रहालय अथवा संबंधित विभाग के प्रदर्शन कक्ष में जनदर्शन हेतु रखी जावेगी।

(चंद्रकांत वर्मा) (I.A.S.)
संचालक
ग्रामोद्योग हाथकरघा
रायपुर (छ.ग.)

राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020 वर्ष 2024–25 के लिए प्रविष्टियां प्रस्तुत करने बाबत् आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

संचालक,
ग्रामोद्योग संचालनालय,
हाथकरघा प्रभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

द्वारा :– कलेक्टर, जिला ....छत्तीसगढ़ प्रदेश.

विषय :– राज्य स्तरीय ''राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020'' वर्ष 2024–25 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

राज्य स्तरीय ''राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020'' वर्ष 2024–25 में सम्मिलित होने बावत् आवेदन–पत्र एवं हाथकरघा सूती वस्त्र का नमूना (प्रविष्टि) प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मुझसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

1) बुनकर का नाम एवं पूर्ण पता : ....
(छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का : ....
प्रमाण–पत्र संलग्न करें) : ....

2) उम्र (जन्म तिथि सहित अंकित करें) : ....
(जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/सरपंच का प्रमाण पत्र) जो उपलब्ध हो, संलग्न करें।

3) गुरू अथवा शिक्षक का नाम व पता : ....
(जिससे बुनाई का प्रशिक्षण मिला है)

4) हाथकरघा बुनाई से संबंधित अनुभव : .... वर्ष

5) वर्तमान मासिक आय : .... रूपये

6) यदि पूर्व में कोई पुरस्कार मिला हो : ....
तो उसका विवरण ....

7) क्या वस्त्र बुनकर द्वारा स्वयं निर्मित किया गया है ....
एवं उक्त प्रविष्टि, पुरस्कार हेतु प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है..........................
(स्टांप पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें)

8) पुरस्कार हेतु प्रस्तुत की जा रही प्रविष्टि का विस्तृत विवरण ....
....

वस्त्र का नाम/विवरण	साईज़	मूल्य
....	....	....

9) प्रविष्टि की विशेषता ....
....

10) अन्य जानकारी जो बुनकर देना चाहे ....

11) पुरस्कार प्राप्त करने नहीं आ पाने की दशा में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकित व्यक्ति का नाम, पता व रिश्ता ....

आवेदक बुनकर के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त प्रविष्टि मेरे स्वयं के द्वारा हाथकरघा पर बुनाई की गई है, मैं इसे मेरी जिम्मेदारी पर ''राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020'' वर्ष 2024–25 की प्रविष्टि हेतु दे रहा/रही हूँ। इसके रख रखाव में किसी भी प्रकार त्रुटि होने पर मैं किसी भी प्रकार का दावा नहीं करूँगा/करूँगी। चयन समिति द्वारा उक्त पुरस्कार हेतु लिया गया अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक :–

आवेदक बुनकर के हस्ताक्षर

नाम :–....................................
पता :–....................................

राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020 वर्ष 2024–25 हेतु प्रविष्टि प्रस्तुत करने बाबत् शपथ पत्र का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति श्री ....निवासी ग्राम .... तहसील ....जिला ....प्रदेश .... सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि ''राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020'' वर्ष 2024–25 के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत यह प्रविष्टि (वस्त्र का नाम व किस्म) ....मेरे स्वयं के द्वारा हाथकरघा पर बुना गया है, और मैं विगत वर्षों से हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई का कार्य व्यक्तिगत/.................................. बुनकर सहकारी समिति मर्या .... के माध्यम से करता आ रहा/रही हूँ। प्रस्तुत की जा रही प्रविष्टि पूर्व पुरस्कृत नहीं है तथा पुरस्कार हेतु प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही है।

मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि उपर्युक्त कथन असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर ''राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020'' के लिये अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। इस दौरान यदि इस मद के लिए लाने ले जाने में अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से कोई नुकसान/चोरी आदि होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, शासन की नहीं होगी। योजना के समस्त नियम व शर्तें मुझे मान्य है।

पुरस्कार हेतु चयन होने की दशा में मैं पुरस्कार ग्रहण करने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

पूरा नाम ....
पता ....
हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

नोटः– उक्त शपथ पत्र 50/– के स्टांप पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आर.ओ.61/जी–242501352/5

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

:: संचालनालय ::

ब्लॉक डी, भूतल, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ०ग०)

website-www.tribal.cg.gov.in e-mail-ctd.cg@nic.in

क्रमांक / आदि०यो० / हॉस्पि–12 / 2024–25 / 4199–A अटल नगर, दिनांक 24.07.2024

हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु द्वितीय विज्ञप्ति का प्रकाशन

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक / युवतियों के लिए "हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण" योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाना है। वर्ष 2024–25 के लिये हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले प्रदेश के युवक / युवतियों से दिनांक 08 / 08 / 2024 समय शाम 05:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

2 / आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम तथा शर्तें विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता। कार्यालय में उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3 / उपरोक्त प्रशिक्षण अंतर्गत कुल 100 छात्र / छात्राओं (अभ्यर्थियों) को लाभान्वित किया जायेगा। बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य परिवर्तनशील होगा। यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा एवं प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित पाठ्यक्रम अथवा नौकरी / व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण आवासीय है। प्रशिक्षण में छात्रावास एवं मेस की सुविधा भी निःशुल्क होगी। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण देने वाली संस्था द्वारा जॉब प्लेसमेंट की प्रकिया से प्रशिक्षण से संबंधित जॉब भी उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण हेतु नियम, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप

1. **लाभान्वितों की संख्या–** योजनांतर्गत कुल 100 छात्र / छात्राओं (अभ्यर्थियों) को लाभान्वित किया जायेगा। बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य परिवर्तनशील होगा।
2. **हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण–** यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा एवं प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित पाठ्यक्रम अथवा नौकरी / व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी।
3. **प्रशिक्षण व्यय एवं आवासीय सुविधा–** चयनित किए गए समस्त प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्यय शासन द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में रहने एवं मेस व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
4. **चयन प्रक्रिया–** प्रथम स्क्रीनिंग में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा तथा नियमानुसार योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से निर्धारित लक्ष्य का अधिकतम 1.50 (डेढ़) गुणा अभ्यर्थियों को काउसिलिंग / साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रथम स्क्रीनिंग पश्चात कक्षा 12वीं के प्रावीण्यता का 80 प्रतिशत तथा काउंसिलिंग / साक्षात्कार का 20 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन प्रशिक्षण देने हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्थान की सहमति से किया जायेगा। काउंसिलिंग / साक्षात्कार हेतु आवेदक को स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
5. विज्ञापन का प्रकाशन पश्चात् अभ्यर्थियों का अनन्तिम चयन (Provisional Selection) किया जायेगा अपरिहार्य कारणों से यह निरस्त भी की जा सकेगी।
6. **अनिवार्य शर्ते :–**

6.1 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

6.2 अभ्यर्थी की जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति के घोषित सूची में होना चाहिए। आवेदक स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र रखता हो।

6.3 अभ्यर्थी की आयु (01.01.2024 की स्थिति में) 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

6.4 अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

6.5 अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए तथा 10+2 स्तर में अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए, जिसमें उत्तीर्ण होना चाहिए।

6.6 आंखों की रोशनी सामान्य एवं लम्बाई के अनुपात में वजन होना चाहिए तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

6.7 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा अनुसार परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय रू. 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.8 प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष होगी, (09 माह की कक्षायें एवं 03 माह Out Door Catering) जिसमें फ्रंण्ट ऑफिस, किचन, फुड एण्ड बेवरेजेस सर्विसेज, हाऊस किपिंग, क्लास रूम, लायब्रेरी, फिटनेस, ग्रुमिंग एवं इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि पर कक्षाएं संचालित की जावेगी एवं किसी स्थानीय या आऊटसोर्स करके प्रतिष्ठित कंपनी / संस्थान में ऑन–जॉब प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। क्लास रूम एवं ऑन–जॉब प्रशिक्षण की अवधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगी।

नोट :–1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

2. यथा संशोधित वर्ष 2013–14 योजना नियमावली विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(आरएस भोई)
अपर संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैंनेजमेंट प्रशिक्षण योजनान्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप वर्ष 2024–25

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक डी, भूतल इन्द्रावती भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाएं। स्टेपल न करें

विषय :–वर्ष 2024–25 के लिए हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैंनेजमेंट में प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विज्ञापन के संबंध में मेरा विवरण निम्नानुसार है:–

1 नाम–..

2 पिता / अभिभावक का नाम –..

3 पिता / अभिभावक का व्यवसाय –..

4 माता का नाम–...

5 माता का व्यवसाय –...

क्रमशः

6 आवेदक के छ०ग० में अनु. जाति/जनजाति वर्ग की सूची में जाति/उपसमूह का नाम अनुसूचित जाति [ ] अनुसूचित जनजाति [ ] उपजाति का नाम [ ]
(✓) टिक करें (सक्षम अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)

7 जन्म तिथि (अ) अंको में –..

(ब) शब्दों में –..

8 आयु– (01.01.2024 की स्थिति में) वर्ष..................माह......................दिन...................
(कक्षा 10वीं बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं हां [ ] नहीं [ ]
(✓) टिक करें (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10 परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल आय.......................................
(सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें), सेवारत् कर्मचारी के पुत्र/पुत्री नियोक्ता का आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

11 पत्र व्यवहार का पता..
....
....
....
....

12 स्थायी पता एवं दूरभाष नम्बर..
....
....
....मो0 नम्बर..........................

13 शारीरिक विवरण –...

(अ) ऊंचाई सेमी में [ ] फीट में [ ]

(ब) वजन–कि.ग्रा. में [ ]

(स) आंख की दृष्टि क्षमता–बिना चश्मा के [ ]

(द) आंख की दृष्टि क्षमता–चश्मा के साथ [ ]

(इ) कोई गंभीर बीमारी हो तो विवरण ....

14 शैक्षणिक योग्यता का विवरण (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	विषय समूह का नाम	स्कूल का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत	अध्ययन का माध्यम
1	10वीं						
2	12वीं						

15 आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न की जाने वाली अनिवार्य प्रमाण पत्र (✓) टिक करें।

15.1 कक्षा 10वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र [ ]

15.2 कक्षा 12 वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र। [ ]

15.3 छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र। [ ]

15.4 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी जाति प्रमाण पत्र। [ ]

15.5 पालक/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। [ ]

मैं..............................पिता/अभिभावक श्री.........................निवासी......................... प्रमाणित करती/करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी।

16. सूचना भेजने हेतु ई–मेल आई०डी० (यदि कोई हों)...............................
मोबाईल/फोन नम्बर अनिवार्यतः भरें...

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

दिनांक.........................

आर.ओ.62/जी–242501354/4

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक/ए.आ.आ.वि./ले.इं./2024–25/138 अम्बिकापुर, दिनांकः 22/07/2024

लेटरल इन्ट्री द्वारा कक्षा (7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं) प्रवेश हेतु विज्ञापन सूचना :–

सरगुजा जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट, जिला– सरगुजा (छ०ग०) में कक्षा– 07वीं, 08वीं, 09वीं एवं 11 वीं हेतु शिक्षा सत्र 2024–25 में लेटरल इन्ट्री द्वारा रिक्त सीटों की पूर्ति की जानी है। जिस बावत् इच्छुक छात्र जो इन कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहते है। वे छात्र कार्यालय सहायक आयुक्त, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०) से एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट से फार्म प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में जमा कर देवें।

इच्छुक छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथियों में कार्यालय सहायक आयुक्त, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०) एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट, जिला–सरगुजा (छ०ग०) से फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि –03/08/2024 (अपरान्ह 5.30 बजे तक)

प्रवेश परीक्षा की तिथि –11/08/2024 (दिन रविवार अपरान्ह 10.00 बजे)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट में कक्षा 7वी, 8वी, 9वीं, एवं 11वीं के रिक्त सीटों की कक्षावार जानकारी निम्नानुसार है :–

01. कक्षा–07वीं – 01 सीट
02. कक्षा–08वीं – 04 सीट
03. कक्षा–09वीं – 04 सीट
04. कक्षा–11वीं साइंस एवं कामर्स रिक्त सीट अनुसार चयनित किया जावेगा।

टीप :– 1. लेटरल इन्ट्री प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने हेतु प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट से सम्पर्क किया जा सकता है।
2. केवल अ.ज.जा. छात्र ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है।

सहायक आयुक्त/सदस्य
जिला स्तरीय छ.ग. आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

आर.ओ.60/जी–242501344/4

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन खण्ड तीन–प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर
फोन नम्बर– 0771–2331385, फैक्स नम्बर– 0771–2445215,
ई–मेल– cg.dpi.dir@gmail.com

:: सूचना ::

लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र कमांक/शा.शि./05/डी.पी.एड. एवं बी.पी.एड. प्रवेश/2024–25/259 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.06.2024 के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाकर शिक्षा सत्र 2024–25 में शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेन्ड्रा जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में डी.पी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश संबंधी चयन/साक्षात्कार दिनांक 22.07.2024 से 24.07.2024 तक निर्धारित किया गया था।

अपिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित चयन एवं साक्षात्कार तिथि जो दिनांक 22.07.2024 से 24.07.2024 तक को निर्धारित थी एतद् द्वारा स्थगित किया जाता है।

अब उक्त चयन एवं साक्षात्कार दिनांक 06.08.2024 से दिनांक 08.08.2024 तक शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेन्ड्रा जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में आयोजित किया जावेगा। शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी।

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर (दुगईगुड़ा)

जिला बीजापुर (छ.ग.)

ईमेलः–itiusoor@gmail.com

क्रमांक / औप्रसं / स्था / मे.प्र.भर्ती / 2024 / 119 उसूर दिनांक 24. 07. 2024

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं0–4, प्रथमतल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेशानुसार जिला दन्तेवाड़ा नोडल अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों / विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2023–2024 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, उसूर (दुगईगुडा) जिला–बीजापूर छ०ग० 494447 में आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 12.08.2024 को सायं 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :–

1. पदों की जानकारी :–

क्र.	व्यवसाय / विषय का नाम	औप्रसं उसूर	औप्रसं भोपालपटनम	कुल पद
1	कोपा (कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिसटेंट)	01	01	02
महायोग		01	01	02

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क्र0	व्यवसाय का नाम	संस्था का	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)	आईटीआई उसूर	01	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्तविश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डी .ओ.ई. (DOEACC) से ए स्तर का प्रमाण–पत्र या किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से बी.सी.ए. पी. जी. डी.सी.ए. 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए .टी. आई. / सी.टी.आई. / एन.व्ही.टी.आई. आर. व्ही.टी.आई. टॉट उत्तीर्ण हो।
		आईटीआई भोपालपटनम्	01	
कुल पद			02	

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :–

(क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई. / ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई. / ए. टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(ख) सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

(ग) हिन्दी स्टेनोग्राफी व्यवसाय के लिये कौशल परीक्षा में 30 अंक एवं वांछित अर्हता का 70 प्रतिशत अंक निर्धारित है।

नियम एवं शर्तें

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई / एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण–पत्रधारी अभ्यर्थियों के एटीआई / सीटी आई के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
3. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

   मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोष जनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
4. शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पद स्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायों / विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
7. पृथक–पृथक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन जमा करना होगा।
8. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घंटा 140 / – (एक सौ चालीस रूपये) की दर से प्रतिकार्य दिवस अधिकतम पांच घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000 / – रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय–समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
9. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश का छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. पदों की संख्या घटाई–बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय / विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तब जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर / समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
12. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 12.08.2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, उसूर में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर / आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।

14\. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 24.07.2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं

क्रमशः

होना चाहिए वांछित प्रमाण–पत्रों जैसे– शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई / सीटीआई एवं निवास प्रमाण–पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज
में प्रस्तुत किया जाना है।

15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
16. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल कमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
17. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. आवेदक के पास किसी व्यवसाय / विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र जैसे– राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र / इंजीनियरिंग में उपाधि / इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण–पत्र / अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू० पी0 एस0 4836 / 2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

प्राचार्य / अध्यक्ष
(मेह. प्रवक्ता चयन समिति)
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर (दुगईगुडा)
जिला बीजापुर (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व–प्रमाणित फोटो

प्रति,

प्राचार्य / अध्यक्ष
(मेह. प्रवक्ता चयन समिति)
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, उसूर (दुगईगुड़ा)
जिला– बीजापुर (छ0ग0)

विषय :–मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र ।
महोदय,
मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत हैः–

आवेदित पद एवं व्यवसाय का नाम :...
आवेदित संस्था का नाम :...
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।)
1. आवेदक का नाम :...
2. पिता / पति का नाम :...
3. माता का नाम :...
4. जाति :........................वर्ग......................
5. जन्मतिथि (अंको में) :...
(शब्दों में) :...
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :...
:...
:...
:...
7. दूरभाष / मोबाईल नंबर :...
8. स्थायी निवास का पूर्ण पता :...
:...
:...
:...
9. सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हाँ / नहीं) :...
11. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :–

क्र.	परीक्षा का नाम	मण्डल / बोर्ड / विश्वविद्यालय / आई.टी.आई.	विषय / व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीपः प्रत्येक संस्था / व्यवसाय / विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–
1...
2...
3...
4...
5...
6...

(आवेदक के हस्ताक्षर)

// शपथ–पत्र //

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूं कि :–

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय–समय पर संशोधित / लागू मानदेय प्राप्त करूंगा / करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण–पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण–पत्र गलत पाये जाते हैं, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा / करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित / स्थानान्तरित / संविदा कर्मचारी की पद स्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य / अधीक्षक / संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा / करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था / व्यवसाय / विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था / व्यवसाय / विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा / जाऊंगी। दूसरे संस्था / व्यवसाय / विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों / निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा / करूंगी।

स्थान :.................
तारीख :...............

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :..................................
पत्र व्यवहार का पता:.............
मोबाइल नंबर:...........................

आर.ओ.59 / जी–242501342 / 4

छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–01, द्वितीय तल, नया रायपुर, 492002

दूरभाष क्रमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax), E-Mail: dirwcd.cg@nic.in

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 23.08.2024 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :–

1. जिला बाल संरक्षण इकाई (गौरेला–पेंड्रा मरवाही, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़– बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई एवं सक्ती) में रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
	जिला बाल संरक्षण इकाई– गौरेला–पेंड्रा–मरवाही						
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/–
2	संरक्षण अधिकारी – संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
3	संरक्षण अधिकारी– गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/–
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/–
6	सामाजिक कार्यकर्ता	01	02 (01 महिला)	0	0	3	18536/–
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/–
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/–
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/–
10	आउटरीच वर्कर	01	03	0	01	5	10592/–

क्र.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
	जिला बाल संरक्षण इकाई– मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी						
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/–
2	संरक्षण अधिकारी – संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
3	संरक्षण अधिकारी– गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/–
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/–
6	सामाजिक कार्यकर्ता	02 (01 महिला)	01	0	0	3	18536/–
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/–
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/–
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/–
10	आउटरीच वर्कर	02	01	01	01	5	10592/–
	जिला बाल संरक्षण इकाई– खैरागढ़–छुईखदान–गंडई						
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/–
2	संरक्षण अधिकारी – संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
3	संरक्षण अधिकारी– गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/–
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/–
6	सामाजिक कार्यकर्ता	01	02 (01 महिला)	0	0	3	18536/–
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/–
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/–
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/–
10	आउटरीच वर्कर	01	03	0	01	5	10592/–
	जिला बाल संरक्षण इकाई– सारंगढ़–बिलाईगढ						
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/–
2	संरक्षण अधिकारी – संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
3	संरक्षण अधिकारी– गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/–

क्र.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/–
6	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/–
7	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/–
8	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/–
	जिला बाल संरक्षण इकाई– सक्ती						
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/–
2	संरक्षण अधिकारी – संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
3	संरक्षण अधिकारी– गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/–
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/–
6	सामाजिक कार्यकर्ता	01 (महिला)	01	01	0	3	18536/–
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/–
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/–
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/–
10	आउटरीच वर्कर	02	01	01	01	5	10592/–
	जिला बाल संरक्षण इकाई– मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर						
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01	0	0	0	1	44023/–
2	संरक्षण अधिकारी – संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
3	संरक्षण अधिकारी– गैर संस्थागत देखरेख	01	0	0	0	1	27804/–
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	01	0	0	0	1	27804/–
5	परामर्शदाता	01	0	0	0	1	18536/–
6	सामाजिक कार्यकर्ता	01 (महिला)	01	0	01	3	18536/–
7	लेखापाल	01	0	0	0	1	18536/–
8	डाटा एनालिस्ट	01	0	0	0	1	18536/–
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	13240/–
10	आउटरीच वर्कर	02	02	0	01	5	10592/–

क्रमशः

2. किशोर न्याय बोर्ड (गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़–बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई एवं सक्ती) में रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	जिला	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित मासिक वेतनमान
			अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1.	गौरेला–पेंड्रा–मरवाही	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	11916/–
2.	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी		01	0	0	0	1	
3.	सारंगढ़– बिलाईगढ		01	0	0	0	1	
4.	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर		01	0	0	0	1	
5.	खैरागढ़–छुईखदान–गंडइ		01	0	0	0	1	
6.	सक्ती		01	0	0	0	1	

3. बालक कल्याण समिति (गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़–बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई एवं सक्ती) में रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	जिला	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित मासिक वेतनमान
			अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1.	गौरेला–पेंड्रा–मरवाही	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	0	0	0	1	11916/–
2.	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी		01	0	0	0	1	
3.	सारंगढ़– बिलाईगढ		01	0	0	0	1	
4.	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर		01	0	0	0	1	
5.	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई		01	0	0	0	1	
6.	सक्ती		01	0	0	0	1	

4. जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :–

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/बाल विकास/मानवाधिकार/लोक प्रशासन/मनोविज्ञान/मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी/गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
2	संरक्षण अधिकारी – संस्थागत देखरेख	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/बाल विकास/मानवाधिकार/लोक प्रशासन/मनोविज्ञान/मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 02 वर्ष का अनुभव	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए महिला एवं बाल विकास/ समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 02 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
3	संरक्षण अधिकारी–गैर संस्थागत देखरेख	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/बाल विकास/मानवाधिकार/लोक प्रशासन/मनोविज्ञान/मनोचिकित्सा/विधि/जन स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास/ समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 02 वर्ष का अनुभव	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए महिला एवं बाल विकास/ समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 02 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान ।
4	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी/एनजीओ/विधि मामलों के साथ काम करने का कम से कम 02 साल का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और संरक्षण की मुद्दों की अच्छी समझ।
5	परामर्शदाता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/जन स्वास्थ्य/काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार/एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
6	सामाजिक कार्यकर्ता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान में स्नातक।	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	–
7	लेखापाल	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/गणित विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली कोर्स का प्रमाण–पत्र।	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस तथा कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। टेली पर कमांड होना चाहिए।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	
8	डाटा एनालिस्ट	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर में स्नातक।	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/टेली तथा कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	
9	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	हिन्दी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीण
10	आउटरीच वर्कर	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	अच्छा संचार कौशल	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	

5. किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :–

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर **(किशोर न्याय बोर्ड)**	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	हिन्दी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीण
2	सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर **(बालक कल्याण समिति)**	कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण	हिन्दी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः (Preferably) महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव/दक्षता अथवा अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीण

टीपः पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

6. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

7. आयु सीमा–

7.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।

7.3 आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण–पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।

8. निवास :– अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

9. **पदों हेतु आरक्षणः**–संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

11. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीप :– कंडिका–10 एवं 11 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

12.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण–पत्र

क्रमशः

मान्य होंगे।

12.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

12.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीप : आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

13. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

14. नियुक्ति प्राधिकारीः– जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

15. अंकीय प्रणालीः– निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :–

15.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

15.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

15.3 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

15.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जायेगा वहां कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे।

15.5 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

16. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 15 के उप कंडिका 15.1 एवं 15.2 पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

16.1 जिला बाल संरक्षण इकाई के पदों में से जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख), संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता के पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जावेगा, इसके अतिरिक्त शेष सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा।

16.2 चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

16.3 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

17. नियुक्ति की अवधि :–

17.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।

17.2 जिला बाल संरक्षण इकाई /बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

17.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

17.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

17.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

17.6 उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र कमांक 2489/239/सा./2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।

18. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

18.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावें। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

18.2 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

18.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।

18.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

18.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

18.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

19. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

20. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.cgwcd.gov.in एवं WWW.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

21. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई–मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :–1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

2. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(तुलिका प्रजापति)
संचालक
संचा. महिला एवं बाल विकास विभाग
एवं सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

क्रमशः

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

प्रति,

....

....

....

1. आवेदित पद का नाम :..
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :..
   (अंग्रेजी में) :..
3. पिता/पति का नाम :..
4. स्थायी पता :..
5. (पत्र व्यवहार का पता) :..
   दूरभाष/मोबाईल, :..................ईमेल आईडी–......................
6. जन्मतिथि (अंको में) :..
   (शब्दों में) :..
7. दिनांक 01/01/2024 को आयु :..
8. लिंग पुरूष/महिला :..
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति वर्गः–........................
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? :–........................
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्तताः–..
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथिः–....................एवं जीवित बच्चों की संख्या :–....................
13. शैक्षणिक योग्यता (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरणः..
15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)..

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	पद छोड़ने का कारण
		कब से	कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहें तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. संलग्नकों की सूचीः–

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
3. 12वीं की अंकसूची
4. स्नातक की अंकसूची
5. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1....................2..................3....................4............................

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम..................................

घोषणा–पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आर.ओ.59/जी–242501342/4

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

।। सर्व संबंधित को सूचना ।।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा–संशोधित) के तहत् सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सेंन्ट्रल सीमेंट इण्डस्ट्रीज, ग्राम सरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा खसरा क्रमांक 807/4 एवं 811, कुल क्षेत्रफल 3.095 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् स्टेड अलोन सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता 150 टन प्रतिदिन (4,500 टन प्रतिमाह) से बढ़ाकर 1,000 टन प्रतिदिन (30,000 टन प्रतिमाह) के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 29/08/2024 को प्रातः 11:00 बजे से स्थल तिल्दा पीडब्ल्यूडी रोड, एनएच–रायपुर–बिलासपुर हाईवे की ओर, यूनिक ब्रिक्स एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के पास (अक्षांश, देशांतर–21.562912, 81.741980) शासकीय रिक्त भूमि ग्राम–सरोरा, विकासखण्ड–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में नियत की गई है, में नियत की गई है। यह भी सूचित हो कि :–

1. लोक सुनवाई के दौरान सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. लोक सुनवाई में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जावेगा तथा समय–समय पर सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
3. लोक सुनवाई स्थल पर सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की बैठक व्यवस्था कम से कम 02 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
4. कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशो का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 14 सितम्बर, 2006 (यथा–संशोधित) के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन/पठन हेतु ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा तथा सी.डी. (साफ्ट कॉपी) डायरेक्टर, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोर बाग रोड, नई दिल्ली. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.), कार्यालय कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.), मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला रायपुर (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिल्दा, जिला – रायपुर (छ.ग.), कार्यालय सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत सरोरा, तहसील – तिल्दा, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, न्यू ऑफिस बिल्डिंग, रिंग रोड़ नं. 2, टाटीबंध, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रकृति के प्रति आभार जताने का पर्व

हरेली 04 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। यह सावन मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसे हरियाली अमावस्या और चितलागी अमावस्या भी कहते हैं। किसान परिवार इस दिन कृषि औजारों की पूजा करते है। घर-घर में गुरहा (गुड़) चीला और सोहारी जैसे पारंपरिक व्यंजनों की मिठास घुलेगी और गली- मोहल्लों में लोग गेड़ी चढ़ने का आनंद लेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी त्योहार और पर्वों की शुरुआत होती है। इस समय तक खेती में खरीफ फसल की प्रारंभिक कार्य, जैसे धान की बुआई और रोपा आदि का कार्य लगभग संपन्न हो चुका होता है। किसान इस दिन सुबह अपने गाय-बैलों को अच्छे से नहला धुला कर पूजा करते हैं। साथ ही गेहूं का आटा गूंथ उसमें खड़ा नमक डाल कर लोदी बनाकर अंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेट कर उन्हें खिलाते हैं।

हरेली पर्व मुख्य रूप से प्रकृति के प्रति आभार जताने का पर्व है। सावन माह में होने वाली बारिश इस दौरान अपने चरम पर पर होती है। चारों ओर हरियाली रहती है। किसान नई फसलों की तैयारी में जुट जाते हैं। किसान अपने खेत-खलिहानों को धरती माता मानते हैं। वे धरती माता, जल-नदी, पेड़-पौधों के प्रति आभार जताते हुए उनकी पूजा करते हैं।

▪ चौखट पर लगाया जाता है नीम की टहनी

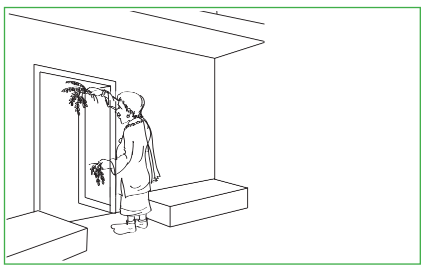

गरियाबंद जिले के ग्राम सोरिद के बैगा अमृत ध्रुव ने बताया कि हरेली के दिन घर की चौखट पर कील ठोकने और नीम की टहनी लगाने की परंपरा है। गांवों में यह रस्म लोहार निभाते हैं। नीम की टहनी लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के शिक्षक जगदीश सिन्हा का कहना है कि नीम के होने से बारिश में पनपने वाले मच्छर और अन्य कीट दरवाजे के अंदर नहीं जाते। वहीं बारिश के समय संक्रमण का खतरा रहता है। नीम की पत्तियां औषधीय गुण के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है।

▪ मौसमी बीमारी से पशुओं की रक्षा करता है

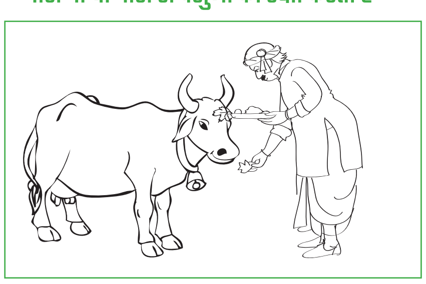

पशु रोग विशेषज्ञ डॉ पुरूषोत्तम का कहना है कि बैल और गाय की सेहत की चिंता किसान करते हैं। आटे में दसमूल और जंगल की गोंदली को मिलाकर खिलाया जाता है, ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो। बारिश के दिनों में पशुओं को कई तरह की बीमारी हो जाती है, यह औषधि इन बीमारियों को होने से बचाती है। हरेली त्योहार से किसानों और पशुधन के आराम के दिन शुरू होते हैं। पुराने जमाने में हरेली से पहले बोआई, बियासी का काम पूरा हो जाता था। फसल के पकने तक पशुओं को भी आराम मिलता था।

▪ गेड़ी का आनंद लेते है

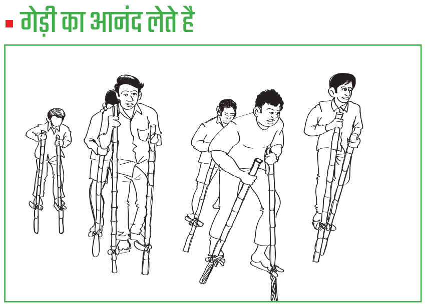

हरेली के दिन बच्चों के लिए गेड़ी बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है फिर वे उस पर चढ़कर घूमने निकलते हैं। युवा वर्ग बैल दौड़, कबड्डी, नारियल फेंक के खेल खेलते हैं। महिलाएं नयी साड़ी पहन पूरे सोलह सिंगार करके सामूहिक रूप से सावन झूला, बिल्लस, खो-खो आदि खेल का आनंद लेती है।

> "छत्तीसगढ़ के गांव-गवई के मनखे मन के जिन्दगी मा रचे-बसे हे खेती किसानी। अउ इही खेती किसानी से जुड़े हे हमर पहली तिहार हरेली। हरेली छत्तीसगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हावे, अउ ये त्योहार हमर कृषि परंपरा ला जीवित राखथे। हमर सरकार किसान के कल्याण, कृषि के विकास बर प्रतिबद्ध हे।..."
>
> **-विष्णु देव साय,**
> मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हरेली का धार्मिक महत्व

जनश्रुति है कि यह कृषि पर्व राजा जनक द्वारा हल चलाने के फलस्वरुप माँ सीता के प्रकट होने से जुड़ा हुआ है। ऋषि-मुनियों के रक्त से भरा घड़ा रावण ने अपने दूतों के हाथों से भेजकर राजा जनक के राज्य की सीमा में गड़वा दिया था। तबसे वहाँ सूखा व दुष्काल पड़ना चालू हो गया। इस तरह बारह वर्ष बीत गये। प्रजा व जीव-जन्तुओं में त्राहि-त्राहि मच गई। राजा जनक बहुत चिंता में पड़ गए। अपनी चिंता से विद्वानों को अवगत कराते हुए इसका निदान पूछा। तब विद्वानों ने सुझाव दिया कि रानी स्वयं हल खींचे और राजा स्वयं हल चलाये तो वर्षा होगी।

जब रानी सुनयना ने सोने से निर्मित हल स्वयं खींचा और राजा जनक ने हल चलाया तो उस हल के सीत (जिसे छत्तीसगढ़ी में नास कहते हैं) की ठोकर से वह घड़ा फूट गया। जिससे जगज्जननी माँ सुन्दर सुशील कन्या के रुप में अवतीर्ण हुई। चुंकि उसका अवतरण सीत की ठोकर से हुआ इसीलिए उसका नाम सीता पड़ा। उसके प्राकट्य होते ही तेज वर्षा होने लगी। पेंड-पौधे हरियाने लगे। पूरी धरती हरी-भरी होने लगी। पूरी धरती में हरियाली छा गई। इस खुशी में राजा व प्रजा हल व बैल की पूजा कर हरियाली पर्व मनाया। त्रेतायुग से प्रत्येक साल मनाते मनाते यह पर्व एक परंपरा के रुप में स्थापित हो गई। देश के अलग-अलग भागों में भिन्न-भिन्न नामों से भिन्न-भिन्न रूपों में यह पर्व मनाया जाने लगा। जो अद्यतन निरंतर जारी है।

कृषि औजारों की पूजा

हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व है जब खेतों में जोताई-बोआई का काम हो जाता है, तब नागर-बैलों का काम भी पूरा हो जाता है। ऐसे में हरेली त्योहार के दिन सारे कृषि औजारों की अच्छी तरह साफ-सफाई करते हैं और खेती में सहयोग के लिए आभार मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है।

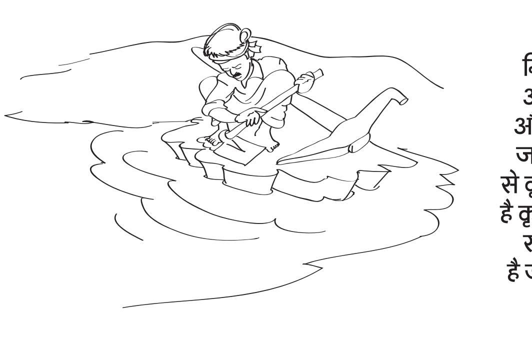

खेतों में काम करते हुए कृषि औजारों में मिट्टी लग जाती है। बिना साफ-सुथरा किए औजारों को रख देंगे तो वे खराब हो जाएंगे और अगली बार उपयोग के लायक नहीं रह जाएंगे। साफ-सफाई और उचित रखरखाव से कृषि औजार लंबे समय तक सुरक्षित रहते है कृषि औजारों की पूजा की जाती है। यह पर्व सावन माह में अमावस्या को मनाया जाता है जब किसानों की बोनी और बियासी पूरी हो जाती है।

हरेली पूजा में पारंपरिक पकवानों का भोग लगाया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से गुरहा चीला, गुलगुला भजिया और बोबरा शामिल हैं।

पारंपरिक पकवान बनाने की विधि

1. गुरहा चीला

सामग्रीः गेहूं का आटा, गुड़, पानी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंफ, तेल

विधिः
▪ गुड़ को पानी में घोलें और गैस पर तब तक गर्म करें जब तक गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए। गुड़ को पकाना नहीं है। ▪ गुड़ के घोल को ठंडा होने दें और फिर छान लें। ▪ एक बर्तन में गेहूं का आटा छान लें और गुड़ के ठंडे घोल को आटे में मिलाकर एक पतला पेस्ट तैयार करें। पेस्ट में कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। ▪ काली मिर्च, बड़ी इलायची और सौंफ को कूटकर पेस्ट में मिलाएं। ▪ तवे को गर्म करें, थोड़ा तेल डालें और पेस्ट को तवे पर फैलाएं। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें।

2. गुलगुला भजिया

सामग्रीः गेहूं का आटा, गुड़, नारियल, सौंफ, काली मिर्च, बड़ी इलायची, चुटकी भर सोडा, तेल

विधिः
▪ गुड़ को पानी में घोलें और इसमें गेहूं का आटा मिलाएं। एक बर्तन में गेहूं का आटा छान लें और गुड़ के ठंडे घोल को आटे में मिलाकर एक पतला पेस्ट तैयार करें। पेस्ट में कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। ▪ नारियल, सौंफ, काली मिर्च और बड़ी इलायची मिलाएं। ▪ घोल को हल्का करने के लिए चुटकी भर सोडा डालें। ▪ छोटे-छोटे आकार में तेल में फ्राई करें।

3. बोबरा

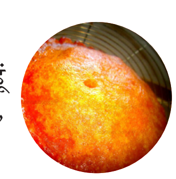

सामग्रीः चावल, उड़द दाल, गेहूं का आटा, गुड़, काली इलायची, काली मिर्च, सौंफ, तेल

विधिः
▪ चावल और उड़द दाल को रात भर भिगोकर रखें। ▪ भीगे हुए चावल को पीसकर उसमें गेहूं का आटा मिलाएं। ▪ गुड़ को पानी में घोलकर छान लें और घोल में मिलाएं। ▪ काली इलायची, काली मिर्च और सौंफ मिलाएं। ▪ घोल को न गाढ़ा न पतला रखें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ▪ कढ़ाई में तेल गर्म करें और घोल को कटोरी में डालकर तलें।

▪ **धनेश कुमार दिवाकर**

राज्य खेल अलंकरण: उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने की पहल

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए विभिन्न पुरस्कार और अलंकरण की शुरुआत की है। ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों, कोचों और संगठनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं और राज्य का नाम रोशन किया है। इन पुरस्कारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को पहचान देना और उन्हें सम्मानित करना है ताकि वे और अधिक मेहनत करके राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रयास

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण

खेल विभाग द्वारा खेल के प्रति उत्सुकता जगाने एवं खिलाड़ियों के खेल कौशल में वृद्धि करने हेतु, विद्यालयों के ग्रीष्मावकाश की अवधि में, जिलों में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस प्रशिक्षण शिविर में एन.आई.एस. डिप्लोमा प्राप्त प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त व्यायाम निर्देशकों तथा वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन माह 21 मई से 10 जून तक किया गया।

व्यायाम शाला/जिम उपकरण का स्थापना

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य के नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य एवं नियमित व्यायाम की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है, ताकि वे शारीरिक स्वास्थ्य की ओर आकर्षित होकर अपने क्षेत्र में खेल का विकास करें।

विभागीय प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण

विभाग के मैदानी कार्यालयों में हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सॉफ्टबाल, कुश्ती, आर्चरी एवं एथलेटिक्स के प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन प्रशिक्षकों के माध्यम से नियमित खेल प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी का अवसर प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा समस्त जिलों में विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर ग्रामीण खेल कबड्डी, खो-खो, व्हालीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक, बास्केटबॉल, हॉकी, हैण्डबॉल, कुश्ती, कराटे, तीरंदाजी, तैराकी आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

ग्रामीण अंचलों में महिलाओं में खेल के प्रति जागृति लाने एवं उनमें छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से एवं खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी का अवसर प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा समस्त जिलों में विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर महिला खेल कबड्डी, खो-खो, व्हालीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक, बास्केटबॉल, हॉकी, हैण्डबॉल, कुश्ती, कराटे, तीरंदाजी, तैराकी आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों का होगा सम्मान

राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त, 2024 को किया जाना है। इसके लिए खिलाड़ियों से 10 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंतिम तिथि तक संचालनालय एवं जिलों में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का संकलन संचालनालय स्तर पर किया जा चुका है। संचालालय स्तर पर गठित आवेदन परीक्षण समिति के द्वारा नियमों के परिप्रेक्ष्य में आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है।

पुरस्कार	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	पुरस्कार	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
	आवेदन	आवेदन		आवेदन	आवेदन
शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार	61	85	शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार	77	98
शहीद कौशल यादव पुरस्कार	46	52	मुख्यमंत्री ट्राफी (जूनियर वर्ग)	01	01
वीर हनुमान सिंह पुरस्कार (निर्णायक)	03	04	मुख्यमंत्री ट्राफी (सीनियर वर्ग)	04	04
वीर हनुमान सिंह पुरस्कार (प्रशिक्षक)	19	27	नगद राशि पुरस्कार के लिए वर्ष	275	518
शहीद विनोद चौबे सम्मान	22	32	इस प्रकार कुल आवेदन	508	518

इस प्रकार दोनों वर्षों के लिए कुल 1329 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का परीक्षण पूर्ण करके शासन स्तर पर निर्णयक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण

छत्तीसगढ़ खेल पुरस्कारों वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के विजेताओं की संख्या की सूची इस प्रकार है।

पुरस्कार का नाम	वर्ष 2018-19 पुरस्कृत खिलाड़ियों की संख्या	वर्ष 2019-20 पुरस्कृत खिलाड़ियों की संख्या	वर्ष 2020-21 पुरस्कृत खिलाड़ियों की संख्या	ईनाम की राशि रुपये
शहीद राजीव पांडे	08	06	11	3 लाख
शहीद कौशल यादव	07	06	03	1.5 लाख
वीर हनुमान सिंह	03	02	01	1.5 लाख
शहीद पंकज विक्रम	20	27	16	25,000
शहीद विनोद चौबे	05	05	05	25,000
मुख्यमंत्री ट्रॉफी	20	25	26	2 से 5 लाख

छत्तीसगढ़ राज्य खेल पुरस्कार

शहीद राजीव पांडे पुरस्कार

शहीद राजीव पांडे पुरस्कार राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पदक जीता हो या किसी अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार विजेता को 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

शहीद कौशल यादव पुरस्कार

जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया जाता है। विजेता को 1.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार

पिछले 5 वर्षों में 4 बार सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पंकज विक्रम सम्मान के विजेता को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

वीर हनुमान सिंह पुरस्कार

राज्य के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों अथवा खेल निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1.50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

शहीद विनोद चौबे पुरस्कार

राज्य के उन पूर्व खिलाड़ियों जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है। राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय खेल में भाग लिया हो, खेल क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सेवा की हो। विजेता को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ट्रॉफी

मुख्यमंत्री ट्रॉफी उन टीमों को प्रदान की जाती है जिन्होंने सीनियर या जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणियों में पदक जीते हैं। 4 या उससे कम खिलाड़ियों वाली टीम के लिए पुरस्कार राशि सीनियर वर्ग के लिए 2 लाख रुपये और जूनियर वर्ग के लिए 1 लाख रुपये है। 4 से अधिक खिलाड़ियों वाली टीमों को सीनियर वर्ग में 5 लाख रुपये और जूनियर वर्ग में 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

गुण्डाधूर सम्मान-

यह सम्मान छत्तीसगढ़ के आदिवासी नायक गुण्डाधूर की स्मृति में दिया जाता है। यह उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान-

बस्तर के महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव की स्मृति में यह सम्मान खिलाड़ियों और कोचों को दिया जाता है। जिन्होंने अपने क्षेत्र में अद्वितीय प्रदर्शन किया है।

▪ संदीप सिन्हा

छत्तीसगढ़

उद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु मिला प्रथम पुरस्कार

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कृषि एवं उद्यानिकी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बस्तर अंचल के महिला कृषक को लाईफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ के पांच कृषकों को भी सम्मानित किया गया है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने उद्यानिकी के क्षेत्र में वनांचल क्षेत्रों सहित प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मेले में अवार्ड मिलने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस्तर के सुदूर अंचल के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 1000 महिला कृषकों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला कृषक श्रीमती वेदेश्वरी (बिंदु) शर्मा को उक्त एक्पो में लाईफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

किसानों को मिला 5590 करोड़ रुपए से अधिक का अल्पकालीन कृषि ऋण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को अब तक राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से 5590.35 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7300 करोड़ रूपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक वितरित कुल राशि लक्ष्य का लगभग 76 प्रतिशत है। किसानों को उनके मांग और रकबे के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेती-किसानी की प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने तथा खेती-किसानी में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना प्रारंभ किए गए थे। इसके अलावा किसानों को साहूकारों के चंगुलों से बचाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इससे किसानों को प्रारंभिक जरूरतों के लिए न सिर्फ राहत मिली है, बल्कि फसलों के उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है।

नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके।

राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान होगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी।

राशनकार्ड नवीनीकरण 15 अगस्त तक

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त तक किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है।

नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को "नॉलेज बेस्ड सोसायटी" यानी "ज्ञान आधारित समाज'' के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।

नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

नक्सली हिंसा में मृतक के परिजनों को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी वर्गों के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर लाभांवित किया जा रहा है। बीजापुर जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों के 58 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कुल 58 पात्र आवेदकों को प्रथम चरण में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 368 अटल टिंकरिंग लैब्स का सफल संचालन

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में कुल 368 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) संचालित करने की घोषणा की है। इनमें से 278 लैब्स शासकीय विद्यालयों में और 90 लैब्स अशासकीय विद्यालयों में संचालित हो रहें हैं। इन लैब्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। राज्य स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों में आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी है। इसके समाधान हेतु राज्य सरकार ने 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ATL शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय

नौसेना के लिए 'त्रिपुट' युद्धपोत का जलावतरण

वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) ने भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे दो 'पी11356 युद्धपोत' में से पहले युद्धपोत 'त्रिपुट' का जलावतरण किया। यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने युद्धपोत का जलावतरण किया, जबकि उनकी पत्नी रीता पिल्लई ने इसे 'त्रिपुट' नाम दिया।

पीएम विश्वकर्मा योजना, 2.28 करोड़ से अधिक कारीगरों का नामांकन

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 2.28 करोड़ से अधिक कारीगरों का नामांकन किया गया, जिनमें 13 लाख 94 हजार से अधिक लाभार्थियों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया जा चुका है। इसमें पांच लाख 42 हजार 222 महिलाएं हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि देश भर में कुल पांच लाख तीन हजार 161 उम्मीदवारों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से दो लाख 74 हजार 703 महिला हैं। उन्होंनने कहा कि कर्नाटक से अधिकतम संख्या में उम्मीदवारों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के तहत प्रमाणित किया गया है।

बच्चों के लिए पेंशन योजना 'वात्सल्य' की घोषणा

सरकार ने बच्चों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) वात्सल्य की घोषणा की है। इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक को अंशदान करना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश 'केन्द्रीय बजट 2024-25' में बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना 'वात्सल्य' की घोषणा की। वयस्क होने पर इसे एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है।

वनक्षेत्र में बढ़ोत्तरी के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में भारत शामिल

खाद्य एवं कृषि संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2010 से 2020 तक के आंकड़े में 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया है, जिससे इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 1,937,000 हेक्टेयर के साथ सबसे अधिक वन क्षेत्र का लाभ उठाता है और दुनिया में सबसे आगे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 4,46,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। टॉप 10 में अन्य देशों में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल हैं।

तकनीकी संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए 82 परियोजनाओं को मंजूरी

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधि को आगे बढ़ाने, विविधता लाने और गति देने के लिए आईआईटी, एनआईटी और अन्य विशेषज्ञों सहित विभिन्न प्रमुख तकनीकी संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए 82 अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएँ, जिनमें से प्रत्येक का बजट दस लाख रुपये तक है और पूरा होने की समय-सीमा छह महीने है, केवल सैद्धांतिक समीक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें व्यापक क्षेत्र-स्तरीय अध्ययन शामिल हैं। इन परियोजनाओं के फोकस क्षेत्रों में अत्याधुनिक डोमेन शामिल हैं जैसेः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इन उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देकर, बीआईएस का लक्ष्य ऐसे मानक विकसित करना है जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा करें तथा नवीन उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करें।

गणित ओलंपियाड में भारत को 4 स्वर्ण समेत 5 पदक

अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड (आईएमओ) 2024 में चौथा स्थान हासिल किया है। भारत के छह छात्रों की टीम ने चार स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले सर्वश्रेष्ठ रैंक 1998 और 2001 में 7वीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयी छात्रों को बधाई दी है। 65वां अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड यूनाइटेड किंगडम के बाथ में हुआ। भारतीय टीम का नेतृत्व कृष्णन शिवसुब्रमण्यम ने किया और उपनेता रिजुल सैनी थे। टीम में शामिल पुणे के आदित्य मंगुडी वेंकट गणेश, गुवाहाटी के आनंद भादुड़ी, नोएडा के कनव तलवार और मुंबई के रुशिल माथुर ने स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली के अर्जुन गुप्ता ने रजत पदक जीता। पुणे के सिद्धार्थ चोपड़ा ने सम्मानजनक स्थान हासिल किया।

आईओसी सदस्य चुनी गईं नीता अंबानी

रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को बुधवार को पेरिस में सर्वसम्मति से दोबारा भारत से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) का सदस्य चुना गया। पेरिस में चल रहे आईओसी के 142वें सत्र के दौरान हुए मतदान में नीता को शत प्रतिशत मत मिले। नीता ने पुनः आईओसी सदस्य चुने जाने के बाद विज्ञप्ति में कहा, "मैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं अध्यक्ष (थॉमस) बाक और आईओसी में अपने सभी सहयोगियों को मुझ पर उनके विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।" उन्होंने कहा, "फिर से (सदस्य) चुना जाना ना केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर है।

पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2 पायदान चढ़ा, 82वीं रैंक, 4300 रईस छोड़ सकते हैं देश

दुनियाभर के देशों के पासपोर्ट की मजबूती मापने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 84 से सुधेरकर 82 वीं हो गई है। 2023 में भारतीय पासपोर्ट मजबूती के मामले में 103 देशों में 84वें स्थान पर था। 20 वर्षों में भारतीय पासपोर्ट सबसे खराब स्थिति यानी 90 नंबर पर 2021 में था। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में सिंगापुर टॉप पर है। इसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान दूसरे स्थान पर हैं, जहां प्रत्येक को 192 गंतव्यों तक बिना वीसा के प्रवेश की सुविधा मिलती है। भारतीय नागरिकों के पास केवल 58 गंतव्यों तक वीसा-मुक्त पहुंच है। इतने कम वीसा मुक्त गंतव्यों तक पहुंच चलते देश के हाई नेटवर्थ वाले परिवारों में भारत से बाहर एक वैकल्पिक निवास रखने या नागरिकता लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अपने बच्चों के लिए अच्छे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुंच में आसानी भी इसकी एक वजह है। भारत में 2024 में 4,300 करोड़पति कम होने का अनुमान है।

अंतरराष्ट्रीय

न्यूजीलैंड में दुर्लभ स्पैड टूथेड व्हेल का शव मिला

न्यूजीलैंड के तट पर दुनिया की सबसे दुर्लभ स्पैड टूथेड व्हेल का शव मिला है। इस व्हेल को जीवंत रूप में कभी भी देखा नहीं गया है। पहली बार है, जब विशेषज्ञ व्हेल के पूरे शरीर का अध्ययन कर पाएंगे। स्पैड टूथेड व्हेल की पहचान 1874 में दांतों के नमूनों से की गई थी। व्हेल के अब तक केवल 6 ही अवशेष मिले हैं।

स्पेस एक्स का नया मुख्यालय टेक्सास में

सैन फ्रांसिस्को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने स्पेसएक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुख्यालयों को टेक्सास स्थानांतरित कर रहे हैं। मस्क ने अपने इस फैसले के लिए कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में व्यवसाय करने की कई आलोचनाओं का हवाला दिया। अपने एक्स हैंडल में मस्क ने कहा कि वह स्पेसएक्स के मुख्यालय को कैलिफोर्निया के हॉथोर्न से टेक्सास में कंपनी के लॉन्च टेस्ट साइट स्टारबेस पर स्थानांतरित कर रहे हैं।

आईएसएस कक्षा से अलग होने के 12 महीने बाद गिरेगा : नासा

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) को 2030 तक बदलने की योजना है। इसके लिए आईएसएस को वापस लाया जाएगा और उसकी समुद्र में जलसमाधि कराने की तैयारी है। इस बारे में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि पृथ्वी की कक्षा से अलग करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आईएसएस को क्रैश होने में 12 महीने लगेंगे। आईएसएस को पृथ्वी की कक्षा से अलग करने के लिए नासा ने स्पेसएक्स से विशेष डिऑर्बिट यान प्रोजेक्ट को लेकर करार किया है। इस प्रोजेक्ट पर 7,050 करोड़ खर्च होंगे। नासा की यह योजना इस बात की याद दिलाती है कि पृथ्वी की कक्षा के भीतर कुछ भी हमेशा के लिए अंतरिक्ष में नहीं रह सकता है। उपकरण पुराने हुए, रखरखाव महंगा पड़ रहा: आईएसएस की शुरुआत नवंबर 1998 में हुई थी।

माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप

माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक अपडेट ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी। लाखों कंप्यूटर अचानक ठप हो गए, जिससे हजारों उड़ानें रद्द या देर से चलीं। बैंकिंग सिस्टम को झटका लगा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं, मीडिया को अपना प्रसारण रोकना पड़ा और कारोबारी जगत हलकान रहा। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटरों के साथ यह स्थिति पैदा हुई। समस्या मूल रूप से उन कंप्यूटरों में आई, जो माइक्रोसॉफ्ट की उस क्लाउड सेवा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें क्राउडस्ट्राइक का फायरवॉल सिस्टम लागू था। भारत में इसके कारण मुख्य रूप से विमानन सेवाओं पर असर पड़ा और सौ से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

वैज्ञानिकों ने बनाया इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाला रिमोट

अब टेलीविजन की तरह इंसान भी रिमोट के कंट्रोल होंगे। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने ऐसी एक रिमोट जैसी तकनीक विकसित की है, जिससे इंसान के दिमाग को नियंत्रित किया जा सकता है। यह तकनीक न सिर्फ बहुत दूर से काम करती है, बल्कि कई लोगों को एक साथ नियंत्रित कर सकती है। इस तकनीक का नाम 'नैनो-मैग्नेटोजेनिक इंटरफेस फॉर न्यूरोडायनामिक्स' यानी 'नैनो-माइंड' है। इसे कोरिया के बेसिक साइंस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसमें वैज्ञानिकों ने चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया है, जो सीधे इंसान के दिमाग तक पहुंचती हैं और उसे प्रभावित करती हैं। इन्हीं चुंबकीय तरंगों की मदद से दूर से ही इंसान के दिमाग को नियंत्रित किया जाता है। शोधकर्ताओं की टीम ने इस आविष्कार को नैनो-माइंड नाम दिया, जिसका अर्थ है 'न्यूरोडायनैमिक्स के लिए नैनो-मैग्नेटोजेनेटिक इंटरफेस।'

म्यांमार के प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी

म्यांमार के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय प्रशासन परिषद के अध्यक्ष मिन आंग ह्लाइंग को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद की गतिविधियों से संबंधित मामलों को हल करने के लिए अस्थायी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्तियां दी गयी हैं। एमडब्ल्यूडी न्यूज ब्रॉडकास्टर ने यह जानकारी दी। सैन्य सरकार ने कहा, "कार्यवाहक राष्ट्रपति के कर्तव्य राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष को सौंप दिए गए हैं।" रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट स्वे बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है।

चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी में पानी के निशान मिले

चीनी विज्ञान अकादमी (सीएएस) के अनुसार, चांग ई-5 मिशन द्वारा प्रदर्शित चंद्रमा के मिट्टी के नमूनों का अध्ययन कर रहे चीनी सिद्धांतों को चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अवशेष मिले हैं। हांगकांग साउथ स्थित चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्च - जो कि बीजिंग नेशनल लेबो टेरेटरी फॉर कंडेंड मैटर फिजिक्स एंड नेक्सस के भौतिक संस्थान और अन्य घरेलू अनुसंधान अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कंपनी ने कहा कि 2020 में चांग'ए-5 मिशन चंद्रा मिट्टी के स्मारकों के आधार पर लौटा, चीनी कंपनी ने न्यूक्लियर जल से "समृद्ध" एक खनिज खनिज पाया है।

सोमालिया की समुद्री रक्षा क्षमता बढ़ाएगा तुर्किए

तुर्किए की संसद ने अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र सहित सोमालिया में सशस्त्रक बलों की तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये बल आतंकवादी गतिविधियों और दूसरे खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोमालिया में दो साल तक तैनात रहेगा। ये प्रस्ताव तुर्किए और सोमालिया के बीच फरवरी में हुए रक्षा और आर्थिक सहयोग समझौते के बाद आया है। इसका उद्देश्य सोमालिया की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढाना है।

भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की कमान संभाली

भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाल ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम में कमी और जलवायु अनुकूल निर्माण में सहयोग तथा कार्यान्वयन पर केंद्रित यह केन्द्रत एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आठ पड़ोसी देशों बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह ने वर्ष 2024-25 के लिए थाईलैंड के बैंकॉक में चीन से इस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की।

खेल / कला

छत्तीसगढ़ की रीबा ने भारत को दिलाया सिल्वर

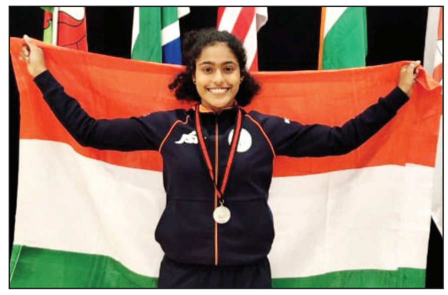

कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय एपी महिला टीम को सिल्वर मेडल जीतने में छत्तीसगढ़ रीवा बेनी ने अहम भूमिका निभाई है। क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिला एपी इवेंट में भारत की 5 सदस्यीय टीम रायपुर की रीबा बैनी, बिलासपुर की रूपाली साहू, केरल की निवेदिया नायर, पंजाब की गुरसिमरण और हरियाणा की सेजल गुलिया ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 45-37 से हराकर रजत पदक पक्का कर लिया। हालाकि, भारत को फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 37-45 से हार का सामना करना पड़ा। रजत पदक जीतने में रीबा ने अकेले 22 अंकों का योगदान दिया। वहीं, व्यक्तिगत इवेंट में रीबा नौवें स्थान पर रही।

फ्रांस को 2030 और अमेरिका को 2034 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स और 2034 की मेजबानी अमेरिका के साल्ट लेक सिटी को सौंपने का फैसला किया। फ्रांस को मेजबानी कुछ शर्तों के आधार पर सौंपी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आईओसी को आश्वासन दिया कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के संपन्न होने के बाद जो भी सरकार गठित होगी वह आयोजन से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करेगी। इन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। फ्रांस की मेजबानी के पक्ष में 84 सदस्यों ने जबकि चार सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। सात सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांस इससे पहले तीन बार 1924, 1968 और 1992 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। आईओसी सदस्यों ने इसके बाद 2034 में होने वाले शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए साल्ट लेक सिटी की बोली पर भी मोहर लगाई।

यूरो कप जीतने के बाद लौटी टीम का स्पेन में भव्य स्वागत

बर्लिन में स्पेन की टीम यूरोपियन चैम्पियन बनी। जर्मनी की राजधानी में स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया और चौथी बार यूरो कप टाइटल उठाया। चैम्पियन टीम स्पेन पहुंचीं, जहां राजधानी मैड्रिड में उनका भव्य स्वागत हुआ। टीम ने शहर में ओपन-बस परेड निकाली, जिसमें हजारों फैस शामिल हुए। विक्ट्री परेड में खिलाड़ी 4 नंबर लिखी जर्सी पहनकर शामिल हुए। स्पेन का यह चौथा यूरो टाइटल है।

बीसीसीआई पेरिस ओलंपिक के लिए 8.5 करोड़ रुपये देगा

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए आठ करोड़ पचास लाख रुपये देने की घोषणा की है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आर्थिक सहायता देने के लिए श्री शाह को धन्यवाद कहा है। श्री मांडविया ने कहा कि देश को ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रत्येक खिलाड़ी पर गर्व है। पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय दल ने 117 खिलाड़ी जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल हैं। 140 सहयोगी सदस्य भी इस दल का हिस्सा हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेल 26 जुलाई से शुरू हो गया है।

टूर डी फ्रांस साइक्लिंग रेस

दुनिया की सबसे कठिन साइकिल रेस टूर डी फ्रांस के दौरान हर साल प्रशंसकों का अनूठा अंदाज देखने को मिलता है। लोग अजीबोगरीब तरीकों और मजेदार वेशभूषा में रेस के रूट के पास प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते नजर आते हैं। रेस के विजेता को लगभग 4.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है।

भारतीय बैडमिंटन टीम के मेंटॉर बने

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम का मेंटॉर नियुक्त किया है। वह पेरिस ओलंपिक में 15 सदस्यीय भारतीय बैडमिंटन टीम के साथ यात्रा करेंगे। भारतीय दल में 7 खिलाड़ी और आठ सहयोगी स्टाफ है, जिनमें कोच और फीजियो भी शामिल हैं। प्रकाश ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन की स्पर्धाएं 27 जुलाई से 5 अगस्त होंगी। ओलंपिक खेलों में भारत ने बैडमिंटन में अबतक एक रजत और दो कांस्य पदक जीते हैं।

किरण पहल ने महिलाओं की दो सौ मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता

पोलैंड की राजधानी वर्साई में चल रहे ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, किरण पहल ने महिलाओं की दो सौ मीटर स्पर्धा का स्वर्ण जीत लिया है। उन्होंने यह दौड़ 23. 3 सेकेंड में पूरी की जो इस वर्ष किसी भी भारतीय का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रतियोगिता में, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में, ज्योति याराजी दूसरे स्थान पर रहीं। वे ओलिम्पिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय होंगी। उधर, पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में, राजेश रमेश ने स्वर्ण जीत लिया है। इसी स्पर्धा में मुहम्मद अजमल तीसरे और मुहम्मद अनस याहिया चौथे स्थान पर रहे। ज्योतिका डांडी ने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण हासिल किया है।

भारतीय फुटबाल टीम के कोच बने स्पेन के मार्केज

इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) टीम एफसी गोवा के वर्तमान प्रभारी स्पेन के 55 साल के मनोलो मार्केज को शनिवार को यहां भारतीय पुरुष फुटबाल टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। वह बर्खास्त इगोर स्टिमेच की जगह लेंगे।

श्रुति हेगड़े ने जीता मिस यूनिवर्सल पटीट का खिताब

कर्नाटक के एक छोटे से शहर हुबली से संबंध रखने वाली श्रुति हेगड़े ने 'मिस यूनिवर्सल पटीट' का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। एक महीने से कुछ समय पहले 10 जून को श्रुति हेगड़े भारत की पहली 'मिस यूनिवर्सल पटीट' बनीं।

लघु कथा ने जीता कॉमनवेल्थ पुरस्कार

भारतीय लेखिका संजना ठाकुर ने अपनी कहानी 'ऐश्वर्या राय' के लिए वर्ष 2024 का कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार जीता है। संजना ने दुनियाभर के 7359 प्रतिभागियों को पछाड़कर यह पुरस्कार जीता है। संजना को पुरस्कार स्वरूप पांच लाख 27 हजार 938 रुपये की राशि मिली। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन
विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
युवाओं के लिए नौकरियों
के खुले द्वार
विभिन्न शासकीय भर्तियों में
आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने
के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें ...
श्री विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मयंक श्रीवास्तव - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. मिशन मिडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़ से मुद्रित छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो